ई–मेल द्वारा

कार्यालय आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता उत्तर प्रदेश।

परिपत्रांक सी-25/कृषि निवेश/बी–250(टीसी–1) दिनांकः:लखनऊः 11 जून 2018

1.समस्त सहायक आयुक्त एंव सहायक निबन्धक,
सहकारिता ,उ०प्र० ।

2.समस्त सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
जिला सहकारी बैंक लि० ।

3.समस्त जिला प्रबन्धक
पी.सी.एफ. उ0प्र0।

विषय– दिनांक 01.06.2018 से कृमको डी0ए0पी0 उर्वरक की आपूर्ति व फुटकर बिक्री दरो के सम्बन्ध में।

मुख्य राज्य प्रबन्धक–उ0प्र0 कृभको लखनऊ ने अपने पत्र सं0 1069 दिनांक 01.06.2018 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के माध्यम से अवगत कराया है कि अन्तराष्ट्रीय बाजार मे डी0ए0पी0 की दरो मे वृद्वि कर दिये जाने के कारण दिनांक 01.06.2018 से कृभको आयातित डी0ए0पी0 की आपूर्ति एवं फुटकर बिक्री दरो मे संशोधन किया गया है। तदनुसार कृभको के प्रस्ताव के अनुसार दिनांक 01.06.2018 से नए एमआरपी प्रिन्ट के बोरो मे उपलब्ध कृभको डी0ए0पी उर्वरक की आपूर्ति व फुटकर बिक्री दर निम्नानुसार संसूचित की जाती है:–

(धनराशि रू0 मे)

क्र0	विवरण (प्रति मै0टन)	डीएपी
1	एक्स फैक्ट्री प्राईस	24041.42
2	रिटेलर मार्जिन	50.00
3	कर योग्य धनराशि	24051.42
4	सी.जी.एस.टी. 2.5 प्रतिशत +	602.29
5	एस.जी.एस.टी. 2.5 प्रतिशत +	602.29
6	कुल जी.एस.टी. धनराशि	1204.57
7	नेट इश्यू प्राईस	25296.00
8	वितरण मार्जिन	480.00
9	मार्जिन पर सी.जी.एस.टी. 2.5 प्रतिशत +	12.00
10	मार्जिन पर एस.जी.एस.टी. 2.5 प्रतिशत +	12.00
11	मार्जिन पर कुल जी.एस.टी. धनराशि	24.00
12	कृषकों हेतु फुटकर बिक्री दर	25800.00
13	कृषकों हेतु फुटकर बिक्री दर प्रति 50 किग्रा बैग	1290.00

-2-

26/डी.डी.सी
दि0 13/6/18

13/6/18

कृभको द्वारा उक्त डी0ए0पी0 उर्वरक की आपूर्ति व फुटकर बिक्री निम्न शर्तो के अधीन की जायेगी:—

1. भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मन्त्रालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या—15011/33/2017—डी.बी.टी. दिनांक 28.11.2017 के द्वारा सम्पूर्ण देश मे उर्वरक अनुदान भुगतान मे डी.बी.टी. को सम्पादित करने हेतु समय सारणी जारी की गयी है, जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश मे दिनांक 01.02.2018 से उर्वरको का बिकय पीओएस मशीन के माध्यम से किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है।
2. समितियो/भण्डारगृहो पर उपलब्ध पुराने एमआरपी प्रिन्ट के सम्भार की बिक्री बोरे पर प्रिन्ट पुरानी दरो पर ही की जायेगी।
3. आपूर्ति एवं फुटकर बिक्री की उपरोक्त दर नये एमआरपी प्रिन्ट के बोरो मे उपलब्ध डी0ए0पी0 उर्वरक के संभार पर दिनांक 01.06.2018 से प्रभावी होंगी।
4. उर्वरको की बिक्री अनिवार्य रूप से पीओएस मशीन से ही की जाय जो बिक्री केन्द्र पीओएस मशीन द्वारा बिक्री नही करते है,उन्हे भारत सरकार के निर्देशानुसार यूरिया,डीएपी,एनपीके आदि अन्य रासायनिक उर्वरको की आपूर्ति न किया जाय। यह सुनिश्चित करने का दायित्व आपूर्तिकर्ताओ का होगा।
5. कृभको द्वारा समितियों को आपूर्ति एफ0ओ0आर0 आधार पर की जायेगी। इसके लिए परिवहन मद में समिति अथवा राज्य सरकार द्वारा कोई व्यय वहन नहीं किया जायेगा।

(नरेन्द्र कुमार सिंह)
आयुक्त एवं निबन्धक
सहकारिता,उ०प्र०
लखनऊ।

परिपत्रांक : सी-25 /कृषि निवेश/बी—250 टीसी—1 दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

12. मुख्य राज्य प्रबन्धक—उ0प्र0 कृभको, टीसी—28—वी,विभूति खण्ड , गोमती नगर लखनऊ।
13. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, पीसीएफ/यू०पी०सी०बी०, उ०प्र० ।
14. समस्त मण्डलीय उप/संयुक्त आयुक्त एवं उप/संयुक्त निबन्धक, सहकारिता, उ०प्र०।

15. अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक, (कम्प्यूटर/वेब मास्टर) सहकारिता, उ०प्र०, मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
16. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
17. प्रबन्ध निदेशक, पीसीएफ, लखनऊ।
18. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
19. समस्त मंडलायुक्त, उ0प्र0।
20. प्रमुख सचिव, कृषि उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
21. अपर मुख्य सहकारिता, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
22. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र०शासन, लखनऊ ।

(राम प्रकाश)
अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक(कृ0नि0)
सहकारिता,उ०प्र०
लखनऊ।